न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

अपील प्रार्थना पत्र संख्या :– 04/2017 **दायर तारीख :–** 21-03-2017

1. सुमित्रा
2. कमली
3. निक्की
4. किस्तुरी
5. छोटा

पुत्रियान सुवालाल जाति खारवाल निवासी पालडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— अपीलार्थीगण

बनाम

1. जयराम पुत्र सुवालाल
2. बरफी पत्नि सुवालाल
3. शांति देवी पत्नि शेरसिंह
4. राहुल पुत्र शेरसिंह

समस्त जाति खारवाल निवासी पालडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

5. सरपंच ग्राम पंचायत पालडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर
6. उपपंजीयक कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

—प्रत्यार्थीगण

अपील नामान्तरण संख्या 103 ग्राम पंचायत पालडी

तह0 विराटनगर दिनांक 08.09.1998

उपस्थित : श्री गणपत लाल पंसारी, अधिवक्ता अपीलार्थी
एकपक्षीय कार्यवाही प्रत्यार्थीगण संख्या 1, 2, 3, 5
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 02.09.2020

1. अपीलार्थीगण ने अपील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम पालडी के खाता संख्या 68 में दर्ज खसरा नंबर 115/768/0.08, 116/0.75, 147/0.26, 148/0.04, 149/0.48, 155/0.07, 156/0.36, 157/0.24, 158/0.21, 159/0.22, 160/0.22, 161/0.18, 162/0.46, 240/767/0.15 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल रकबा 3.72 हैक्टेयर में हिस्सा 1/3 अपीलार्थीगण के पिता के नाम दर्ज रिकॉर्ड था। अपीलार्थी के पिता सुवा का दिनांक 14.05.1998 को स्वर्गवास हो गया। अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थीगण सुवा पुत्र भूरा की वारिसान है। यह है कि अपीलार्थी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 14.05.1998 में वारिसान में अपीलार्थी का नाम है, लेकिन ग्राम पंचायत पालडी द्वारा दिनांक 08.09.1998 को वारिसान की जांच करते समय अपीलार्थीगण का नाम

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

दर्ज नहीं किया गया। यह है कि प्रत्यार्थी संख्या 3 व 4 के पिता शेरसिंह का दिनांक 17.04.2012 को स्वर्गवास हो गया, जिसके प्रत्यार्थी संख्या 3 व 4 वारिस है, जिसका खाता अभी नहीं खुला है। यह है कि प्रत्यार्थी संख्या 3 शेरसिंह की पत्नि है जो खाता खुलवाने के बाद भूमि का विक्रय करना चाहती है। यह है कि अपीलार्थीगण सुवा की वारिसान है उनका अपने पिता की सम्पति में अंश सहभागिता है, जिसको प्रत्यार्थी संख्या 3 विक्रय से समाप्त करना चाहती है, इसलिए दिनांक 08.09.1998 को ग्राम पंचायत पालडी द्वारा खोले गए नामान्तकरण संख्या 103 को निरस्त किया जाना आवश्यक है। यह है कि नामान्तकरण संख्या 103 ग्राम पंचायत पालडी के द्वारा दिनांक 08.09.1998 को खोला गया है। अतः निवेदन है कि नामान्तरण संख्या 103 दिनांक 08.09.1998 तस्दीक ग्राम पंचायत पालडी को निरस्त करते हुए पुनः उक्त नामान्तकरण को भरे जाने का आदेश ग्राम पंचायत पालडी के पास प्रेषित किया जावे और वारिसान की रिकॉर्ड जांच कर नामान्तकरण की कार्यवाही की जावे।

2. अपील प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रत्यार्थीगण संख्या 1, 2, 3, 5 को सम्यक तामील हुई है तथा बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. अपीलार्थी ने अपनी अपील प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित प्रति नामान्तकरण संख्या 103 दिनांक 08.09.1998,नकल जमाबंदी खाता संख्या 68 ग्रम पालडी संवत् 2072–2075, मृत्यु प्रमाण–पत्र सुवा पुत्र भूरा, अपीलार्थीगण के आधार कार्ड आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम पालडी के खाता संख्या 68 में दर्ज खसरा नंबर 115/768/0.08, 116/0.7[illegible] 147/0.26, 148/0.04, 149/0.48, 155/0.07, 156/0.36, 157/0.24, 158/0.21, 159/0.22, 160/0.22, 161/0.18, 162/0.46, 240/767/0.15 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल रकबा 3.72 हैक्टेयर में हिस्सा 1/3 अपीलार्थीगण के पिता के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। यह है कि अपीलार्थीगण के पिता सुवा का दिनांक 14.05.1998 को स्वर्गवास हो गया था। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपने पिता के मृत्यु प्रमाण में ग्राम पंचायत पालडी के द्वारा न्याय आपके द्वार अभियान दिनांक 30.05.2016 के प्रस्ताव 4(ग) के कुर्सीनामा में वारिसान के तौर पर अपीलार्थीगण वारिसान है, लेकिन ग्राम पंचायत पालडी द्वारा नामान्तकरण खोलते समय वारिसान की जांच करते समय अपीलार्थीगण का नाम दर्ज नहीं किया गया। अपीलार्थीगण के पिता की खातेदारी भूमि का नामान्तकरण अपीलार्थीगण के तीन भाई एवं माता के नाम ही खोला गया। तथा बाद में अपीलार्थीगण के एक अविवाहित भाई की मृत्यु होने से दर्ज खातेदारी भूमि अपीलार्थीगण के दो भाइयों जयराम, शेरसिंह व अपीलार्थीगण की माता के नाम

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

दर्ज रिकॉर्ड है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह साबित होता है कि अपीलार्थीगण सुवा पुत्र भूरा की वारिसान है। अतः अपीलार्थीगण का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

6. अपीलार्थीगण ने अपने अपील प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः अपीलार्थीगण की अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अपीलार्थीगण की अपील अन्दर मियाद मानते हुए धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत पालडी द्वारा खोले गए नामान्तकरण संख्या 103 दिनांक 08.09.1998 को निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार विराटनगर को पत्रावली रिमांड कर निर्देशित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनकर एवं मृतक के वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) सत्यमेव जयते

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)